



AWADHESH PRATAP SINGH UNIVERSITY
REWA, MADHYA PRADESH




**MOU AND CONTRACT PAPERS FOR PROVIDING
SERVICES THROUGH UNIVERSITY'S GENERAL
CAMPUS FACILITIES**



Registration and Stamp
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty



238

E-Stamp Details

E-Stamp Code 01013224012017011061

Total E-Stamp Amount 500

Govt. Stamp Duty (Rs.) 500

Janpad Duty (Rs.) 0

Exempted Amount(Rs.) 0

Municipality Duty (Rs.) 0

Upkar Amount (Rs.) 0

E-Stamp Type NON-JUDICIAL

Issue Date & Time 24/01/2017 08:01:45 PM

Service Provider or Issuer Details Amit Gupta/SP013240909201500289

SP/SRO/DRO/HO Details Ward No:- 15, Ratahara, Tehsil Huzoor, Distt. Rewa M.P. HUZUR REWA

Deed Details

Deed Type Agreement or Memorandum of an agreement

Deed Instrument If not otherwise provided for- Five hundred rupees.

Purpose lease agreement

First Party Details

Organization Name REGISTRAR A P S UNIVERSITY REWA

Address REWA DISTT REWA Madhya Pradesh INDIA

Number of Persons 1

Second Party Details

Organization Name ALLAHABAD BANK

Address BRANCH UNIVERSITY DISTT REWA Madhya Pradesh INDIA

Number of Persons 1




Amit Gupta

[Signature]

Registrar
A.P.S. University
REWA (M.P.)

Digitally signed by Amit Gupta
Date: 2017.01.24 20:53:56 IST
Amit Gupta
Service Provider
SP013240909201500289
Ratahara, Rewa (M.P.)
Mob. No. : 9425824532



239

MEMORANDUM OF LEASE

INSTRUMENTS OF LEASE made 01st day of January in the year two thousand and Seventeen between Registrar A.P.S University Rewa (M.P.) (Hereinafter called the LESSORS which expression shall include his/her/their successors, legal representatives & assigns) of the one part and Allahabad Bank, a body corporate, constituted under the Banking Companies (acquisition & transfer of Undertakings) Act, 1970 having its Head Office at 2, Netaji Subhash Road, Kolkata and a branch at A.P.S University Campus Rewa, Distt. Rewa-486001, M.P. (hereinafter called the LESSEES which include their successors and assigns) of the other part.


Whereas the Lessors have agreed and are willing to lease to the Lessees the building situated at A.P.S University Campus Rewa, Distt. Rewa-486001, M.P. and more fully described below in the schedule hereto.

Now this instrument of lease witnesseth that for and in consideration of the rent by these presents to the Lessors reserved and subject always to the due observance and performance by the Lessees during the continuance of this lease of all and singular the covenants hereinafter contained, the Lessors do hereby for themselves, their successors and assigns grant to the Lessees upon lease the said building together with toilets, water connections in toilet, all structures herein and all rights and easements belonging or appurtenant to the same for a term of Ten Year (s) commencing from the date 01.01.2017 to 31.12.2026 with the option of the Lessee, its successors and assigns and determinable on the expiry of the period herein before expressed, at a monthly rent of Rs 12145/- (Rs Twelve Thousand One Hundred and forty five only) i.e. @ Rs 6.09 per sq. ft. for 1994.50 sq. ft. carpet area on ground floor payable monthly and the Lessees for themselves, their successors and assigns do hereby covenant with the Lessors their successors and assigns that they will at all times during the continuance of this lease pay the rent hereby reserved at the times and in the manner in these presents appointed.

And the Lessors do hereby, covenant with the Lessees that they will at all times during the continuance of this lease at their own cost and expense maintain and keep the premises and all walls and structures now or for the time being their and upon the premises hereby leased in sound structural condition and good habitable repair, that they will from time to time execute all necessary structural repairs and will execute annually in the month of October every year usual petty repairs, repainting of walls and ceiling, white washing and colour washing as also polishing and painting of all the doors and windows once in every three years.

And it is jointly and severally covenanted, agreed and declared by and between the parties to these presents.

- 1) That the Lessees shall have full right and power from time to time and at all times during the continuance of this lease to erect or put up all or any such usual fittings and fixtures in the premises as to them may deem fit and upon expiry or determination otherwise of this lease shall be at liberty to remove all fixtures and fittings erected and put up by them and then subsisting in the premises and the same shall continue to be and be their own absolute property.
- 2) That the rent in respect of each calendar month as hereby reserved shall be and become due and payable by 7th of the next succeeding calendar month.

Amal Kumar


- 3) That so long as the Lessees shall during the continuance of this lease continue to pay the Lessors the rent hereby reserved subject to the adjustment of the lessees' dues, if any and the Lessees shall have full right and power to remain in the full possession and enjoyment of the premises hereby leased without any interruption.
- 4) That if the Lessors shall at any time during the continuance of this lease neglect to make and execute within a reasonable time after notice necessary petty annual repairs including repainting of walls and ceiling, white washing and colour washing as also polishing and painting of all the doors and windows once in the three years then the Lessees may forthwith execute the same or cause the same to be executed and deduct the cost and expenses incurred in executing the same from the rent or otherwise recover the same from the Lessors.
- 5) Should the premises be, at any time during the continuance of this lease, wholly destroyed and rendered substantially and permanently unfit for the purpose for which the same have been let to the Lessees by acts of war, fire, tempest, earthquake, flood and mob or other irresistible force (not occasioned by wrongful act. Or default of the Lessees their employees or assigns) the Lessees may at their option determine the lease.
- 6) The Lessees shall be entitled to sub-let the premises under their occupation to sub-tenants but the liability to pay the rent in accordance with the terms and conditions of this lease deed shall rest with the Lessees.
- 7) The Lessors further covenants that during continuance of lease, they shall not make any construction encroaching the open spaces attached to the leased property, which will render inconvenience for ingress and egress of the Lessees and their employees and customers etc without written consent from the Lessees.
- 8) Responsibility for rent will cease and the lease will be rendered void should the Bank decide to close its office at **A.P.S University Campus Rewa, Distt. Rewa-486001, M.P** during the tenure of the lease, in which event the Lessees will give the Lessors three months' notice of their intention to vacate.
- 9) That in the event of the Lessees not being desirous of exercising the option to them hereinbefore reserved to renew this lease for a further period of **each five years**, they shall not less than three months before the expiry of the terms of this lease, give the Lessors intimation in writing of their intention not to renew the same, failing which notice it will be held that the option is being exercised. In such event the parties hereto shall execute a fresh lease deed with all terms, conditions and covenants contained herein, and determinable on the expiry of the period herein before expressed.
- 10) That the Lessees after the expiry of the lease, if not otherwise determined before, shall deliver the premises to the Lessors in the same good order in which they are let after due allowance for ordinary wear and tear and damages caused by acts of war, fire, tempest, earthquake, flood and mob or other irresistible forces and unavoidable causes(not occasioned by the wrongful act or default of the Lessees or their employees or assigns)
- 11) That the Lessees have full right and power to affix to the said premise, paint thereon erect thereon, display thereon or otherwise exhibit thereon or any part thereof or permit or suffer to be so affixed, painted, erected, displayed or exhibited any advertisement including neon sign, sign plate or painting etc and upon expiry or determination otherwise of the Lease shall be at liberty to remove and take possession of the advertising material whatsoever and howsoever

Amal Kumar

[Signature]



Amal Kumar

[Signature]

241


affixed, erected, displayed or exhibited by them and then subsisting and the same shall continue to be and be their own absolute property.

- 12) The Lessors shall provide and maintain the necessary electric connection, water pipes and other sanitary fittings, etc for the use and enjoyment of the lessee.
- 13) The Lessors further covenants to arrange for installation of optimum supply of electric connections to the demised branch premises in terms of the requirement of the Lessees to maintain its mechanization process (i.e computerisation, ATM, air conditioning, lighting etc). In the event no such steps are taken by the Lessors despite notice of 15 days, the Lessees will be within their rights to apply to the appropriate authority for installation of such electric connection, meter etc and all expenses incurred in this regard including the miscellaneous expenses, if any, will be reimbursed by the Lessors on demand by the Lessees. In default on the part of the Lessors, the said costs/expenditure will be realised by the Lessees from monthly rental under notice to the Lessors.
- 14) That the Lessors have no objection to the Lessee installing the VSAT antenna with monkey cage and /or RF tower & necessary equipments, on the top of the building at the Lessees' cost. If the Lessors constructs further on the top, then the Lessee should be permitted to shift the antenna and other instruments again to the terrace at their cost.
- 15) Further, the Lessor has no objection to the Lessees installing the outdoor units of Air Conditioners at their own cost on the outer wall of the premises / top of the building for which no rent will be paid.
- 16) The Lessors shall provide suitable space for Generator & parking space at GF, for exclusive use of Bank, free of cost.
- 17) The Lessor will provide barrier free environment for differently abled persons i.e. provision of ramp & handrail to be made at the entrance & staircase of the premises.
- 18) The Lessor will adopt various practices for green office/ green building at the time of construction / renovation of the premises under reference to counter / minimize the adverse impact of global warming.
- 19) The Lessee is authorized to install ATM / e-lobby in the area occupied by it without paying any additional rent. However, addition / alteration in premises will be done accordingly by the Lessor. The Lessee is authorized to making addition / alteration in premises accordingly without paying any additional rent.
- 20) The Lessors permits the Lessee to renovate the premises as per CBS requirement.
- 21) The Bank will be authorized to paint the rolling shutters, front & available side walls & any other structure attached to the premises at its wish to display the Bank' schemes.
- 22) The Lessors agree to pay all rates, taxes, Govt revenue, charges etc leviable by law against them as owner of the property leased and if upon the Lessors' neglect or failure to make such payment to the proper authorities, the same is recoverable against the said property, the Lessees may pay the same and deduct it with interest at Allahabad Bank MCLR (which is 9.60% at present) per month from the rent or otherwise recover it from the Lessors.

Handwritten signature
Carlyle Bankly

In witness whereof the parties have hereunto set and subscribed their hands the day and year first above mentioned.

Handwritten signature
Carlyle Bankly



अनुबंध पत्र

1. प्रथम पक्ष— कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

द्वितीय पक्ष— मेसर्स "यावनी सल्यूशन्स" 1051 सुदर्शन वार्ड नं 06 बैकुण्ठपुर, तह.सिरमौर, जिला—रीवा (म.प्र.)


2. यह अनुबंध दिनांक 18/02/2022 प्रथम पक्ष—कुलसचिव, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)।

द्वितीय पक्ष—मेसर्स "यावनी सल्यूशन्स" 1051 सुदर्शन वार्ड नं. 06 बैकुण्ठपुर, तह. सिरमौर, जिला—रीवा (म.प्र.) के मध्य अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा परिसर में कैंटीन (जलपानगृह) संचालित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों के तहत निष्पादित करता हूं। अनुबंध की अवधि वास्तविक कार्य प्रारम्भ से तीन वर्ष तक अथवा निविदा अवधि बढ़ाये जाने तक अथवा नई निविदा प्रभावी होने तक प्रभावशील रहेगी।

अनुबंध में कुल सचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय,रीवा को प्रथम पक्ष एव मेसर्स "यावनी सल्यूशन्स" 1051 सुदर्शन वार्ड नं 06 बैकुण्ठपुर, तह.सिरमौर, जिला—रीवा को द्वितीय पक्ष पढ़ा जाए।

अनुबंध की शर्तें:-

- 1- अनुबंध पत्र के अनुसार कैंटीन का मासिक किराया 6075.00 रुपये देय है, जो प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से द्वितीय पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय निधि में जमा किया जावेगा, रसीद की मूल प्रति विद्युत/यांत्रिक विभाग को प्रस्तुत की जावेगी।
- 2- कैंटीन भवन के लिए पृथक विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर देयक स्वयं भुगतान करना होगा। बिल/देयक भुगतान द्वितीय पक्ष को करना अनिवार्य होगा।
- 3- जल आपूर्ति के लिये द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिमाह 200.00 रुपये प्रथम पक्ष को भुगतान करेगा।
- 4- कैंटीन में खाद्य सामग्री की मूल्यसूची दृष्टिगोचर स्थान पर द्वितीय पक्ष द्वारा लगाई जायेगी तथा उसी मूल्य के अनुसार सामग्री का विक्रय किया जावेगा।
- 5- विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलसचिव/कैंटीन समिति के पदाधिकारी या प्राधिकृत अन्य अधिकारी समय-समय पर कैंटीन का निरीक्षण करेंगे तथा अनुबंध की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में द्वितीय पक्ष पर कार्यवाही की जायेगी।
- 6- जलपान गृह की अमानत राशि 30000.00 (तीस हजार रुपये) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को जमा करना अनिवार्य होगा। (रसीद संलग्न है)
- 7- प्रथम पक्ष द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में अवैध रूप से संचालित जलपान, चाय एवं पान आदि के ठेलों को जिला प्रशासन की मदद से यथाशीघ्र हटवाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 8- कैंटीन भवन के बाहरी परिसर की सफाई, छत की दीवार एवं फर्श की मरम्मत तथा रंग-रोगन का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा।


24/02/22
प्रथम पक्ष द्वारा


द्वितीय पक्ष द्वारा

9- कैण्टीन भवन के अन्दर सफाई खाद्य पदार्थ एवं हाईजिनिक दृष्टि से रख-रखाव तथा गुणवत्तापू
स्नानक स्तर तक बनाये रखने का दायित्व द्वितीय पक्ष को होगा जो खाद्य एवं औषधि प्रसाधन विभाग
मापदण्डों के अनुसार होगा।

10- कैण्टीन में शराब एवं मादक पदार्थ की बिक्री एवं सेवन पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

11- खाद्य पदार्थ की क्वालिटी सदैव उच्च स्तर की बनाये रखने एवं खाद्य अपमिश्रण न होने देने क
दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।

12- दोनों पक्षों के किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय कुलपति जी का निर्णय अन्तिम होगा, जो उभर
पक्ष को मान्य होगा। किसी भी वाद-विवाद की स्थिति में जिला मुख्यालय, न्यायालय क्षेत्राधिकार रीवा में
स्थित न्यायालय में होगा।

13- संविदा की शर्तों को भंग करने की स्थिति में प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष द्वारा जमा प्रतिभूति की राशि को
राजसात कर कैण्टीन संचालन बन्द कर भवन में कब्जा वापस लेगा।

14- जलपान गृह में बिक्री किये जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं दर सूची पृथक से परिशिष्ट में संलग्न
होगा।

15- कैण्टीन की व्यवस्था में कम से कम एक महिला कर्मचारी रहना अनिवार्य होगा।

16- द्वितीय पक्ष को यदि कोई अतिरिक्त खाद्य सामग्री विक्रय करना होगा तो प्रथम पक्ष से अनुमति लेना
होगा तथा उनकी दरें प्रथम पक्ष की सहमति से निर्धारित होगी।

प्रथम पक्ष
हस्ताक्षर
कुलसचिव
अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा(म.प्र.)
दिनांक



द्वितीय पक्ष
हस्ताक्षर
मेसर्स "यावनी सल्यूशन्स"
1051 सुदर्शन वार्ड नं 08 बैकुण्ठपुर,
तह.सिरमौर, जिला-रीवा (म.प्र.)
दिनांक

गवाह:-

1. मा. व. व. सिंह चौहान
अ.प्र. सिंह वि. वि. रीवा
2. उर्मिला प्रसाद वैश्य
अ.प्र. सिंह वि. वि. रीवा

रीवा

SWORN BEFORE ME
THE WITN IN NAMED
Indrak Chaturvedi
NOTARY Rewa (M.P.)
18/02/2022

IDENTIFIED BY
NAME WITNESS
ADDRESS



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

E 650946

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा (म.प्र.)

अनुबंध - पत्र

विश्वविद्यालय स्टेडियम परिसर में निर्मित दुकान क्र. 7 के अधिपत्य हेतु कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा एवं आवंटी श्री चन्द्रभूषण तिवारी तनय श्री चन्द्रमौलेश्वर प्रसाद तिवारी, सिविल अस्पताल के पास मनगवाँ (बस्ती), जिला रीवा (म.प्र.) के मध्य अनुबंध किया जाता है। अनुबंध की आवश्यक नियम एवं शर्तें निम्नानुसार है:-

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से दुकानों के आवंटन हेतु विश्वविद्यालय के कर्मचारियों/अधिकारियों को वरीयता दी जावेगी। दुकानों का आवंटन स्थानीय पेपर/नोटिस बोर्ड में विज्ञापन कर लाटरी सिस्टम के द्वारा होगा।
2. दुकाने 30 वर्ष की लीज पर मासिक किराये के आधार पर आवंटित की जावेगी। दुकानों का मासिक किराया माह अक्टूबर 2007 से 440/-रु. प्रतिमाह होगा। उक्त किराया अगले माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य होगा।

1
K. S. Singh
UP


3. प्रत्येक माह 3वर्ष के बाद वि.वि.10 प्रतिशत मासिक किराये में वृद्धि करेगा, जो कि स्वयं लागू हो जावेगा। इसके लिए अलग से दुकानदारों को कोई लिखित सूचना नहीं दी जावेगी।
4. दुकाने पूर्णतः विश्वविद्यालय के स्वामित्व में रहेगी और प्रशासन जब चाहे आवश्यकतानुसार किसी भी दुकानदार को एक माह की नोटिस देकर उनकी लीज राशि वापस कर खाली करा सकेगा, अनुबंध की शर्तों का पालन न करने पर वि.वि.प्रशासन एक माह की नोटिस देकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर बल पूर्वक दुकान खाली करने का अधिकार रखेगा।
5. दुकान में प्रशासन की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन करने का अधिकार नहीं होगा।
6. जिस व्यवसाय के लिए दुकान आवंटित की जावेगी, वि.वि. की लिखित स्वीकृति के बिना, इस व्यवसाय में परिवर्तन करने का अधिकार दुकानदार को नहीं होगा और ऐसा करने पर एक सप्ताह की नोटिस देकर प्रशासन लीज राशि वापस करके दुकान खाली करा सकेगा।
7. आवंटन के बाद, दुकान की पुताई रखरखाव एवं साफ सफाई की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। दुकानदार जब दुकान खाली करेगा तब अच्छी स्थिति में वह खाली करेगा।
8. दुकान जितनी आवंटित की जावेगी, दुकान उतने ही भाग में निस्तार करेगा उसे भागे दाए-बाए पीछे व छत पर दुकानदार का कोई अधिकारी नहीं होगा।
9. प्रत्येक दुकानदार को विद्युत हेतु स्वयं का मीटर रखना होगा और विद्युत एवं जल आपूर्ति का जो व्यय होगा उसे स्वयं वहन करना होगा। दुकान छोड़ने के पूर्व म.प्र.पूर्वी वितरण क्षेत्र, मण्डल रीवा से नोड्यूल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. आवेदन स्वीकृति होने पर दुकान की प्रीमियम राशि रूपये एक लाख पचास हजार रु. दो समान किश्तों में 6 माह के अंतराल में जमा करना होगा।
11. निर्धारित किराया एवं प्रीमियम राशि समय पर जमा ना करना पर विश्वविद्यालय एक माह की नोटिस देकर अधिपत्य निरस्त कर सकेगा। दुकानों का निर्धारित किराया अगले माह की 10 तारीख तक जमा करना अनिवार्य है। 10 तारीख के बाद पाँच रु. प्रतिदिन के दर से किराये के अलावा अतिरिक्त राशि जमा करना अनिवार्य होगा।



4

-3-


12. कोई दुकानदार यदि दुकान लेने के बाद दुकान छोड़ना चाहता है, तब कुल जमा प्रीमियम राशि का 5 प्रतिशत राशि काटकर एक माह के पश्चात शेष राशि बिना ब्याज के वापिस की जा सकेगी साथ ही यदि दुकानदार का कोई किराया अथवा बिजली का बिल या दुकानों में कोई छति होगी तो उसका आकलन कर उक्त राशि दुकानों की प्रीमियम राशि से काटा जावेगा।
13. ये दुकाने सेल डीड अनुबंध के बाद अहस्तानान्तणीय है और न ही इन्हे गहन रखा जा सकता है। दुकानों के हस्तान्तरण का अधिकार वि.वि.प्रशासन को होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को दुकान का अधिपत्य एवं कागजात वि.वि.में जमा करना होगा।
14. दुकानों के सामने का बराण्डा एवं साइड में बने प्रशासन कक्ष सार्वजनिक होंगे।
15. सेल डीड अनुबंध पत्र में वर्णित नियमों एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. उपरोक्त दुकानों के संबंध में किसी बिंदु पर विवाद होने की स्थिति में वि.वि.प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।
17. नियमों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करने का अधिकार वि.वि.प्रशासन को होगा।



हस्ताक्षर 
श्री चन्द्रभूषण तिवारी 13.10.18


कुलसचिव
अ.प्र.सिंह वि.वि.रीवा

UE

गवाह

1 

2

DE
7nd
Cp.
785

Community Hall Contract

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, सीमा (मिडवाड)

क्रमांक/वि.सं./2013/311

दिनांक 9-07-23

अधिसूचना


आदेशानुसार सामुदायिक भवन एवं पंडित शम्भूनाथ शुक्ल सभागार का किराया दिनांक 13.6.2013 की गठित समिति के अनुमोदित निर्णय अनुसार निर्धारण किया जाता है।


1. पंडित शम्भूनाथ शुक्ल सभागार का किराया प्रतिदिन रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है, जिसमें माइक एवं डी.जी. सेट को पृथक रखा जायेगा।
2. सामुदायिक भवन का किराया विश्वविद्यालय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वयं के परिवार यथा माता-पिता, पुत्र-पुत्रियों एवं पोते-पोतियों के धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु रुपये 5000/- (पाँच हजार रुपये मात्र) निर्धारित किया जाता है।
3. इसी अनुक्रम में बाहरी व्यक्तियों के उपयोग हेतु सामुदायिक भवन का किराया रुपये 12000/- (बारह हजार रुपये मात्र) प्रतिदिन की दर से निर्धारित किया जाता है।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वित्ताधिकारी अ.प्र.सिंह वि.वि. सीमा।
2. सहायक संचालक आवासीय निधि संपरीक्षा।
3. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।


4. सूचना पत्र 0/C


कुलसचिव


कुलसचिव
13



Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh



Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01013211012022015069		
Total E-Stamp Amount	500		
Govt. Stamp Duty (Rs.)	500	Municipality Duty (Rs.)	0
Janpad Duty (Rs.)	0	Upkar Amount (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0		
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL		
Issue Date & Time	11/01/2022 17:57:09		
Service Provider or Issuer Details	Abhishek Pandey/SP013240909202100077		
SP/SRO/DRO/HO Details	17/19 Narendra Nagar Tehsil Huzur Rewa HUZUR REWA		

Deed Details

Deed Type	Agreement/Memorandum of an agreement
Deed Instrument	If relating to secure repayment of a loan or debt.- 0.25 percent of the amount of loan or debt, subject to a maximum of five lakh rupees
Purpose	AGREEMENT

First Party Details

Organization Name	REGISTRAR APSU REWA
Address	APSU REWA REWA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	DIGITAL SEVA
Address	REWA REWA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

आज दिनांक 17/1/2022 को कुलसचिव अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) पार्टी न0-1 एवं मे0 डिजिटल सेवा, अनन्तपुर, रीवा (म.प्र.) पार्टी न0-2 के मध्य फोटो कापी कार्य सम्पादन हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया जाता है।

[Handwritten Signature]

Digitally signed by
ABHISHEK PANDEY
Date: 2022.01.11 17:57:11
IST

[Handwritten Signature]



अनुबंध पत्र


विश्वविद्यालय में फोटोकॉपी मशीन स्थापित कर फोटोकॉपी कार्य हेतु यह अनुबंध आज दिनांक 17/2/2022 को कुलसचिव अकशेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय सेवा एंव डिजिटल सेवा, अमनपुर, रीवा के माध्यम से किया जाता है। यह अनुबंध ई स्टाम्प कोड 01013211012022018069 पर निम्नलिखित किया जा रहा है।

- 1- यह कि कुलसचिव, अकशेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा को एतद द्वारा पार्टी नं. 1 के रूप में जाना जायेगा तथा डिजिटल सेवा रीवा को पार्टी नं. 2 के रूप में जाना जायेगा।
- 2- यह कि पार्टी नं. 2 को फोटोकॉपी कार्य ए-4 एंव ए-3 साइज पर एक ओर, दोनो ओर करना होगा जिसमें पार्टी नं. 2 को स्वयं का जे के कोपियर 75 जी एस एम पेपर का प्रयोग करना होगा। फोटोकॉपी कार्य साफ एंव स्वच्छ किया जायेगा। कार्य अस्पष्ट एंव स्वच्छ न होने पर पार्टी नं. 1 द्वारा पार्टी नं. 2 को किसी प्रकार प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 3- पार्टी नं. 1 द्वारा ए-4 साइज एक ओर के लिये रुपये 1.25 प्रति सीट, ए-4 साइज दोनो ओर के लिए रुपये 2.00 प्रति सीट ए-3 साइज एक ओर एंव दोनो ओर के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मान्य दर (वर्तमान/पूर्व) पर कार्य सम्पादित करना होगा। आवश्यक होने पर इसके सम्बन्धित किसी आइटम की दर उपलब्ध न होने पर पार्टी नं. 2 को विश्वविद्यालय द्वारा मान्य दर पर कार्य सम्पादित करना होगा।
- 4- पार्टी नं. 2 को विश्वविद्यालय में उत्तम क्वालिटी हेवी डाफ्टी मशीन पार्टी नं. 1 के निर्देशानुसार कार्यालय में स्थापित करनी होगी, जिसके लिये निविदा शर्त क्रमांक 8 अनुसार फोटोकॉपी कार्य हेतु निशुल्क कक्ष उपलब्ध कराया जायेगा एंव पार्टी नं. 2 को अपने नाम पर विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 5- निविदा शर्त क्रमांक 8 अनुसार पार्टी नं. 2 को फोटोकॉपी पेपर की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। मशीन में खराबी होने पर किसी भी प्रकार का भुगतान पार्टी नं. 1 द्वारा नहीं किया जायेगा।
- 6- पार्टी नं. 2 को फोटोकॉपी का कार्य निर्धारित दर अनुसार करना होगा। यह कार्य विश्वविद्यालय के विभागध्यक्ष/विभाग प्रमुखों की अनुमति अनुसार करना होगा जिसके लिये कर्म को एक पंजी स्थापित करनी होगी, जिसमें फोटोकॉपी की प्रतियां एंव संबंधित विषय अंकित करना होगा जिससे भुगतान में सुविधा हो।
- 7- यह अनुबंध दो वर्ष तक प्रभावशील होगा दोनों पक्षकारों की सहमति पर अनुबंध को समय पर वृद्धि की जा सकती है। कार्य में उदासीनता/ लापरवाही / गोपनीयता भंग होने कि स्थिति में पार्टी नं. 1 द्वारा बिना कारण बताये अनुबंध निरस्त कर अनुबंध की कम्प्लिका 9 अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 8- यह कि विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों हेतु फोटोकॉपी कार्य की दर क्रमांक 3 के अनुसार होगी। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए छात्रों से किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान न प्राप्त करे। पार्टी नं. 2 को कार्य हेतु स्वीकृत दर मोटे अक्षरों टंकित कर विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड एंव स्व निर्मित नोटिस स्टैंड पर प्रकाशित करनी होगी। जिससे इसकी जानकारी छात्रों को हो सके।
- 9- यह कि विश्वविद्यालय को किसी भी प्रकार के गोपनीय दस्तावेजों की छाया प्रति कुलसचिव के अनुमति के बिना न की जाये। गोपनीयता भंग होने की स्थिति में पार्टी नं. 1 द्वारा पार्टी नं. 2 की जमा अमानत राशि राजसात करने के कार्यवाही की जाएगी।
- 10- पार्टी नं. 1 एंव पार्टी नं. 2 के बीच विवाद की स्थिति में कुलपति का निर्णय अंतिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। तथा न्यायालयीन क्षेत्रधिकार रीवा न्यायालय होगा।

डिजिटल सेवा
अमनपुर, रीवा नं. 2
पार्टी नं. 2

गवाह क्रमांक : 

गवाह का नाम Dr. Shashipal Naurkar


कुलसचिव 17/2/22
अकशेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा
पार्टी नं. 1

गवाह क्रमांक : 

गवाह का नाम बाबूबाबू सोहन